परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1)

जम्मू और कश्मीर की प्रोफाइल

क. सामान्य डेटा

क्र. सं.	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्र			2.22 लाख वर्ग किमी.
2	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या			1.25 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =382 व्यक्ति प्रति स्क्वेयर किमी.)			124 प्रति वर्ग किमी.
4	2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.9 *प्रतिशत*)			10.4
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 *प्रतिशत*)			67.2
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)। (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म (2015)			26
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 68.3 वर्ष 2011-15			73.2
8	गिनी गुणांक (जनसंख्या के बीच आय की असमानता का एक प्रमुख. मान दर शून्य से एक तक है। शून्य के करीब मूल्य इंगित करता है कि असमानता कम है और इसके विपरीत) [2009-10]			
	क.	ग्रामीण (अखिल भारत = 0.29)		0.24
	ख.	शहरी (अखिल भारत = 0.38)		0.31
9	सामान्य श्रेणी राज्यों (जम्मू और कश्मीर) के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2007-08 से 2016-17)			13.8
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2007-08 से 2016-17)		जम्मू और कश्मीर	15.2
			अन्य विशेष श्रेणी राज्यों	15.7
11	जनसंख्या वृद्धि (2007 से 2016)		जम्मू और कश्मीर	11.7
			अन्य विशेष श्रेणी राज्यों	11.4

ख. वित्तीय डेटा

क्र.सं.	विवरण (सीएजीआर)	आंकड़े (प्रतिशत में)			
		2007-08 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
		विशेष श्रेणी राज्यों	जम्मू और कश्मीर	विशेष श्रेणी राज्यों	जम्मू और कश्मीर
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	13.40	13.19	14.44	17.32
ख.	स्वयं के कर राजस्व	17.20	16.93	4.99	14.31
ग.	गैर कर राजस्व	6.58	21.80	21.61	4.06
घ.	कुल व्यय	11.78	13.48	18.78	9.87
ड.	पूंजीगत व्यय	6.178	8.86	50.62	13.03
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	15.30	21.54	13.86	4.61
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	17.91	18.70	20.55	4.83
ज.	वेतन और मजदूरी	15.59	16.52	4.41	0.77
झ.	पेंशन	17.87	15.51	11.76	11.50

परिशिष्ट - 1.2

भाग क: संरचना और सरकारी लेखों के प्रपत्र

सरकारी खातों की संरचना: राज्य सरकार के खातों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष बिलों, आंतरिक और बाह्य ऋणों के निर्गम द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे जिसका शीर्षक है भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित राज्य की समेकित निधि।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के पास एक अग्राह्य है ताकि वह तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम कर सके, लंबित विधायिका द्वारा प्राधिकार। ऐसे व्यय के लिए विधानमंडल का अनुमोदन और संचित निधि से समतुल्य राशि वापस लेने के लिए बाद में प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की वसूली निधि को की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत व्यवस्थित लोक लेखा; लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कतिपय लेन-देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को लोक लेखों में रखा जाता है और राज्य विधान मंडल के विषयाधीन नहीं हैं।

भाग ख: वित्त खातों का प्रारूप

विवरण	प्रारूप
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण सं. 2	प्राप्तियों और संवितरण का विवरण
विवरण सं. 3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण सं. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण
विवरण सं. 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय का विवरण
विवरण सं. 6	उधार और अन्य देयताओं का विवरण
विवरण सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण
विवरण सं. 8	सरकार के निवेश का विवरण
विवरण सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण
विवरण सं. 10	सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण
विवरण सं. 11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
विवरण सं. 12	राजस्व के अलावा व्यय के लिए धन के स्रोतों और उपयोग का विवरण

विवरण सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखों के तहत शेष राशि का सारांश
विवरण सं. 14	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 15	लघु शीर्ष द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 16	लघु शीर्ष और उप शीर्ष द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 17	उधार और अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम के विस्तृत विवरण
विवरण सं. 19	सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विस्तृत विवरण
विवरण सं. 21	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेनदेन पर विस्तृत विवरण
विवरण सं. 22	ईयरमार्कड् शेष के निवेश पर विस्तृत विवरण

परिशिष्ट - 1.3
वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति

चयनित राजकोषीय चर के लिए टीएफसी द्वारा निर्धारित मानदंड/उच्चतम शीर्ष, राजकोषीय समुच्चयों के एक सेट के लिए अपने अनुमानों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए वचनबद्धताओं/प्रक्षेपों के साथ अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में और अधिनियम के तहत विधायिका में बनाये गये अन्य विवरणों में (परिशिष्ट 1.2 के भाग ख) का उपयोग प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के रुझानों और पैटर्न का गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेत है, कर और गैर-कर राजस्व, राजस्व और पूंजीगत व्यय, आंतरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय समुच्चय चालू बाजार कीमतों पर जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रस्तुत किया। जीएसडीपी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय चरों के लिए उछाल गुणांकों का भी आकलन करने के लिए कार्य किया गया है कि क्या संसाधनों की जुटाव, व्यय का पैटर्न आदि आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख रहे हैं। विगत पांच वर्षों हेतु जीएसडीपी में प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
चालू कीमतों पर भारत जीडीपी (₹ करोड़ में)	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086	1,51,92,588
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	13.91	13.28	10.78	8.71	11.90
स्थिर कीमतों पर राज्य जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	76,916	87,570	87,921	91,850	98,826
चालू कीमतों पर राज्य जीएसडीपी[1] (₹ करोड़ में)	74,623	79,055	92,773	1,14,637	1,15,654
जीएसडीपी की वृद्धि दर	12.80*/ 17.35**	13.85*/ 5.94**	0.40*/ 17.35**	4.46*/ 23.57**	7.59*/ 0.89**

स्रोत: *अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग निदेशालय जम्मू और कश्मीर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेब साइट, भारत सरकार*

स्रोत: (एफआरबीएम, वित्त विभाग, जे एंड के और भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय योजना वित्त विभाग-1 डिविजन

*स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर

**चालू मूल्य पर वृद्धि दर

[1] भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए जीएसडीपी के आंकडे राजकोषीय पैरामीटरो के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्तमान मूल्यो के आधार पर 2012-13 से 2016-17 तक के हैं।

शर्तें	गणना का आधार
एक मानदंड में उछाल	मानदंड/जीएसडीपी ग्रोथ की वृद्धि की दर
अन्य मानदंड (वाई) के संबंध में एक मानदंड का उछाल (एक्स)	मानदंड (एक्स) की वृद्धि दर मानदंड (वाई) की वृद्धि दर
विकास दर (आरओजी)	[(चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)-1] * 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवा + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियों की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] * 100
ऋण बकाया के लिए ब्याज *प्रतिशत* के रूप में प्राप्त हुआ	प्राप्त ब्याज [(शेष राशि + ऋणों और अग्रिमों का अंत शेष)/2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण और अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूंजी प्राप्तियाँ
प्राथमिक कमी	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पूर्व-विचलन गैर-नियोजित राजस्व घाटा	गैर-नियोजित राजस्व व्यय - (राज्य के अपने कर राजस्व + राज्य के अपने गैर-कर राजस्व)
राज्य की अपनी कमी	राजकोषीय घाटा-केंद्रीय करों/शुल्कों में हिस्सेदारी-केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान
गैर नियोजित राजस्व गैप	राजस्व कमी - 'योजना' लेखे पर राजस्व कमी = राजस्व कमी - (योजना राजस्व व्यय - योजना अनुदान)

परिशिष्ट - 1.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.2: पैराग्राफ: 1.2.1 और पैराग्राफ: 1.4)

राज्य सरकार वित्त पर समय श्रृंखला डेटा

(₹करोड़ में)

भाग - क प्राप्तियाँ					
राजकोषीय सकल	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1. राजस्व प्राप्तियाँ (क) + (ख)	**26,217**	**27,128**	**28,939**	**35,781**	**41,978**
(क) कर राजस्व	9,703 (37)	10,415 (38)	10,811 (37)	15,141 (42)	17,308 (41)
i) राज्य करों से राजस्व	5,833 (22)	6,273 (23)	6,334 (22)	7,326 (20)	7,819 (19)
जो कि					
बिक्री, व्यापार, पर कर आदि	4,174 (72)	4,579 (73)	4,602 (16)	5,277 (15)	6,012 (77)
राज्य उत्पाद शुल्क	421 (7)	440 (7)	466 (2)	533 (2)	569 (7)
वाहनों पर कर	118 (2)	134 (2)	132 (1)	145 (0.43)	150 (2)
टिकट और पंजीकरण शुल्क	240 (4)	261 (4)	248 (1)	264 (1)	227 (4)
भू-राजस्व	96 (2)	16 (1)	15 (0.05)	12 (0.03)	17 (0.28)
अन्य कर	784 (13)	843 (13)	871 (5)	1,095 (3)	844 (11)
ii) केंद्रीय करों और शुल्कों मे राज्य का हिस्सा	3,870 (15)	4,142 (15)	4,477 (15)	7,814 (22)	9,489 (23)
ख) गैर-कर राजस्व	16,514 (63)	16,713 (62)	18,127 (63)	20,640 (58)	24,670 (59)
(i) राज्य का अपना गैर-कर राजस्व	2,160 (8)	2,870 (11)	1,978 (7)	3,913 (11)	4,072 (10)
जिसमें से					
बिजली विभाग प्राप्तियाँ	1,589 (74)	1,533 (53)	1,428 (72)	1,477 (38)	2,770 (68)
(ii) संघ सरकार से सहायता अनुदान	14,354 (55)	13,843 (51)	16,150 (56)	16,728 (47)	20,598 (49)
राज्य के स्वयं के राजस्व (क) (i) + (ख) (i)	7,993	9,143	8,312	11,239	11,891
केंद्र से राजस्व स्थानान्तरण (क) (ii) + (ख) (ii)	18,224	17,985	20,627	24,542	30,087
2. विविध पूंजी प्राप्तियाँ (ऋण और अग्रिमों की वसूली)	2	4	3	4	19
3. सकल सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ (राजस्व धन अग्रिमों की प्राप्तियों सहित)	7,029	6,002	10,259	14,645	20,749
4. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ **(1+2+3)**	33,248	33,134	39,200	50,430	62,746
5. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	0.55	0	0
6. सकल सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ (विभागीय नकदी चेस्ट और नकदी शेष निवेश में प्राप्तियाँ सहित)	33,438	32,406	37,242	49,546	35,983
सकल प्राप्तियाँ **(4+5+6)**	**66,686**	**65,540**	**76,443**	**99,976**	**98,729**

सार्वजनिक खाता रसीद (नेट) विभागीय नकदी चेस्ट और नकदी शेष निवेश में प्राप्तियाँ शामिल सहित।	**1,974**	**2,790**	**3,906**	**4,312**	**2,396**
भाग - ख संवितरण					
राजकोषीय सकल	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1. राजस्व व्यय **(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)**	**25,117** **(83)**	**27,058** **(85)**	**29,329** **(85)**	**36,420** **(83)**	**39,812** **(83)**
(क) योजना/सीएसएस	1,557 (6)	1,839 (7)	2,872 (10)	1,573 (4)	2,000 (5)
(ख) गैर-नियोजित/सामान्य/जनरल	23,560 (93)	25,219 (93)	26,457 (90)	34,847 (96)	37,812 (95)
(i) सामान्य सेवाएँ (ब्याज सहित भुगतान)	10,614 (42)	11,374 (42)	12,039 (41)	13,675 (38)	15,110 (38)
(ii) सामाजिक सेवाएँ	5,548 (22)	6,319 (23)	8,501 (29)	11,331 (31)	11,564 (29)
(iii) आर्थिक सेवाएँ	7,399 (29)	7,526 (28)	8,789 (30)	11,414 (31)	13,138 (33)
2. पूंजीगत व्यय **(क) + (ख) = (i) + (ii) + (iii)**	**5,224** **(17)**	**4,507** **(15)**	**5,134** **(15)**	**7331** **(17)**	**8,286** **(17)**
(क) योजना/सीएसएस/सीए	4,971 (95)	4,172 (93)	4,501 (88)	1,256 (17)	1,440 (17)
(ख) गैर-नियोजित/सामान्य	253 (5)	335 (7)	633 (12)	6,075 (83)	6,846 (83)
(i) सामान्य सेवाएँ	637 (12)	648 (14)	608 (12)	1112 (17)	769 (9)
(ii) सामाजिक सेवाएँ	1,599 (31)	1,230 (28)	1,608 (31)	2674 (36)	2,306 (28)
(iii) आर्थिक सेवाएँ	2,989 (57)	2,629 (58)	2,918 (57)	3,545 (48)	5,211 (63)
3. ऋण और अग्रिम के संवितरण	**93** (↓)	**121** (↓)	87 (↓)	94 (↓)	76 (↓)
4. कुल (1+2+3)	**30,434**	**31,686**	**34,550**	**43,845**	**48,174**
5.सार्वजनिक ऋण का सकल पुन: भुगतान (राजस्व धन अग्रिम पुन: भुगतान सहित)	**5,085**	**4,147**	**8,549**	**10,815**	**17,023**
आंतरिक ऋण (राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,265	1,218	1,213	1,485	1,951
राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन	**-**	**-**	**226**	**0**	**890**
भारत सरकार[2] की ओर से ऋण और अग्रिम	78	79	112	113	114
6. आकस्मिक निधि का विनियोजन	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**
7. समेकित निधि में से सकल संवितरण (4 + 5)	**35,519**	**35,833**	**43,099**	**54,660**	**65,197**
8. आकस्मिक निधि संवितरण	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**
9. सकल लोक लेखा संवितरण	**31,464**	**29,616**	**33,336**	**45,234**	**33,587**
10. सकल संवितरण (7+8+9)	**66,983**	**65,449**	**76,435**	**99,894**	**98,784**
11. नकदी शेष में वृद्धि	**(-) 297**	**972**	**338**	**82**	**(-)55**
12. कुल योग	**66,686**	**66,421**	**76,773**	**99,976**	**98,729**

2 राजस्व धन अग्रिमों सहित

भाग - ग घाटा					
1. राजस्व अधिशेष (राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय)	**1,100**	**70**	**(-)390**	**(-) 640**	**2,166**
2. राजकोषीय घाटा सार्व जनिक ऋण और अन्य देन दारियों के मोचन को छोडकर कुल व्यय - कुल गैर - ऋण	**4,216**	**4,554**	**5,608**	**8,060**	**6,177**
3. प्राथमिक घाटे (राजकोषीय घाटा - ऋण भुगतान)	**1,510**	**1,553**	**2,075**	**4,341**	**1,610**
4. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**2,707**	**3,001**	**3,533**	**3,719**	**4,567**
5. राजस्व की बकाया राशि	**1,614**	**1,433**	**1,399**	**1,399**	**1,468**
6. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, आदि	**2,084**	**1,481**	**1,535**	**1,523**	**1,729**
7. राजस्व घन अग्रिम/उपयोग किया गया ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	**119 (9 दिनों में ओवरड्राफ्ट)**	**107 (7 दिनों में ओवरड्राफ्ट)**	**207 (2 दिनों में ओवरड्राफ्ट)**	**215 (7 दिनों में ओवरड्राफ्ट)**	**242 (2 दिनों में ओवरड्राफ्ट)**
8. डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	**6**	**4**	**9**	**13**	**19**
9. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	**3,286**	**3,152**	**10,033**	**14,645**	**20,749**
10 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी[3])	**74,623**	**79,055**	**92,773**	**1,14,637**	**1,15,654**
11. लोक लेखा को छोड़कर बकाया सार्वजनिक ऋण[4] (वर्ष अंत)	**24,635**	**26,490**	**28,201**	**32,031**	**35,756**
12. बकाया की गारंटियां (वर्ष के अंत में)	**611**	**2,714**	**2,860**	**2,827**	**2,636**
13. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष अंत)	**2,650**	**4,656**	**4,232**	**4,214**	**4,270**
14. अधूरी परियोजनाओं की संख्या	**202**	**267**	**671**	**938**	**119**
15. अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	**685**	**832**	**1,902**	**1,734**	**393**
कुल व्यय/जीएसडीपी	40.78	40.08	32.24	38.25	41.65
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	86	86	84	82	87
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83	85	85	83	83
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	23.48	23.82	29.26	31.94	29
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	34.13	32.05	33.88	34.12	38
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	17.17	14.22	14.86	16.72	17.20
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	15.08	12.18	13.10	14.18	15.60
जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व अधिशेष	1.47	0.09	(-)0.42	(-) 0.56	1.87
जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा	5.64	5.76	6.04	7.03	5.34
जीएसडीपी के % के रूप प्राथमिक घाटा	2.02	1.96	2.24	3.79	1.39
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	एनए	एनए	6.95	8.08	एनए
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी	53.96	56.51	52.08	48.29	53.79
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	153.58	164.67	166.95	154.71	148.22
ऋण शोधन (मूल + ब्याज) /वर्ष के लिए कुल ऋण प्राप्तियाँ	90.75	89.41	99.39	99.24	104.05
निवेश पर धन वापसी	87.35	128.88	128.88	54.13	45.11
वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं	1.36	1.36	1.28	1.23	1.24

[3] राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर जीएसडीपी के आंकड़े।

[4] केवल केन्द्र सरकार से आंतरिक ऋण तथा उधार और अग्रिम शामिल हैं।

परिशिष्ट - 1.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.2)

वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों और संवितरणों का सार

(₹करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण			
विभिन्न मद	2015-16	2016-17		विभिन्न मद	2015-16	2016-17	
1	2	3	4	5	6	7	8
भाग-क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्ति	**35,780.60**		**41,978.47**	**I.** राजस्व व्यय	**36,420.40**		**39,812.18**
कर राजस्व	*7,326.19*	*7,819.13*		सामान्य सेवाएँ	**13,674.92**	**15,110.66**	
				सामाजिक सेवाएं	**11,330.96**	**11,563.68**	
गैर-कर राजस्व	*3,912.79*	*4,072.19*		शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	*6,048.69*	*5,769.91*	
				स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	*2,369.31*	*2,375.49*	
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	*7,813.48*	*9,488.60*		जल आपूर्ति, स्वच्छता/एचएंडयूडी	*1,729.86*	*1,900.83*	
				सूचना और प्रसारण	*44.94*	*48.34*	
गैर-योजना अनुदान	*11,135.59*	*12,776.41*		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	*98.07*	*95.52*	
				श्रम और श्रम कल्याण	*58.39*	*31.59*	
राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान	4,364.95	7,765.93		समाज कल्याण और पोषण	*952.86*	*1311.38*	
				अन्य	*28.84*	*30.62*	
केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के लिए अनुदान	*1,227.60*	*56.21*					
विशेष योजना स्कीम के लिए अनुदान				**आर्थिक सेवाएं**	**11,414.52**	**13,137.84**	
				कृषि और सहायक गतिविधियाँ	*1,774.23*	*1,954.71*	
				ग्रामीण विकास	*573.50*	*515.77*	
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	*554.31*	*564.90*	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	*497.95*	*506.67*	
				ऊर्जा	*6,835.34*	*8,060.17*	
				उद्योग और खनिज	*323.07*	*303.28*	
				परिवहन	*424.64*	*777.64*	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	*28.93*	*28.24*	
				सामान्य आर्थिक सेवाएँ	*402.55*	*426.46*	
II. भाग-ख में दर्शाया गया राजस्व घाटा	639.80		-	**II. भाग-ख में दर्शाया गया राजस्व अधिशेष**			***2,166.29**
कुल भाग-क	**36,420.40**		**41,978.47**	**कुल भाग-क**	**36,420.40**		**41,978.47**

** ₹1,397.55 करोड़ की सीमा तक उदय बांड से प्राप्त व्यय को छोड़कर राजस्व अधिशेष ₹3,563.84 करोड़ है।*

प्राप्तियाँ				**संवितरण**			
विभिन्न मद	**2015-16**	**2016-17**		**विभिन्न मद**	**2015-16**	**2016-17**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
भाग ख: पूंजीगत							
III. स्थायी अग्रिम और नकद शेष निवेश सहित आदि नकद शेष	**1,400.76**		**526.90**				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**0**		**0**	**III. पूंजीगत आउटले**	**7,330.93**		**8,285.53**
				सामान्य सेवाएं	**1,111.54**	**768.71**	
				सामाजिक सेवाएं	**2,673.81**	**2,305.78**	
				शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	*553.91*	566.01	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	*240.73*	434.85	
				जलापूर्ति, स्वच्छता/एच एंड यूडी	*698.43*	863.26	
				सूचना एवं प्रसारण	*6.05*	2.97	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	*36.88*	36.43	
				समाज कल्याण और पोषण	*1,061.54*	311.24	
				अन्य सामाजिक सेवाओं	76.27	91.02	
				आर्थिक सेवाएं	**3,545.58**	**5,211.04**	
				कृषि और संबद्ध गतिविधियों	676.19	732.67	
				ग्रामीण विकास	*811.79*	1,117.19	
				विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रम	*209.20*	198.32	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	*372.95*	466.62	
				ऊर्जा	*298.61*	699.46	
				उद्योग और खनिज	*154.17*	204.35	
				परिवहन	*399.95*	831.85	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	*26.55*	9.59	
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	*596.17*	950.99	
V. ऋण और अग्रिम की पुनर्प्राप्ति	**4.09**		**19.37**	**IV. ऋण और अग्रिम संवितरण**	**93.79**		**76.24**
उद्योग और खनिज	0.63	2.50		उद्योग और खनिज	*45.93*	32.49	
ऊर्जा				परिवहन	*30.00*	30.00	
सरकारी कर्मचारी	0.81	1.17		सरकारी कर्मचारी	*0.85*	2.45	

प्राप्तियाँ				संवितरण			
विभिन्न मद	**2015-16**	**2016-17**		**विभिन्न मद**	**2015-16**	**2016-17**	
1	2	3	4	5	6	7	8
अन्य	2.65	15.70		अन्य	17.01	11.30	
VI. राजस्व अधिशेष	**--**		**2,166.29**	**V. राजस्व घाटा**	**639.80**		**0.00**
VII. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	**14644.99**		**20,748.53**	**VI. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान**	**10815.08**		**17,023.29**
आंतरिक ऋण के अलावा अन्य राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	14,627.78	20,723.83		आंतरिक ऋण के अलावा अन्य राजस्व धन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट	10701.54	16,908.71	
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	17.21	24.70		भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतान।	113.54	114.58	
रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेनदेन				ओवरड्राफ्ट सहित राजस्व धन अग्रिमों के तहत निवल लेनदेन			
VIII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन	**--**	--	--	**VII. आकस्मिक निधि के लिए** विनियोजन	**--**		--
IX. आकस्मिक निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	**--**	--	--	**VIII. आकस्मिक निधि से व्यय**	**0.05**		**0.10**
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**27,450.54**		**21,811.06**	**IX. लोक लेखा संवितरण**	**24,093.83**		**19,458.37**
लघु बचत और भविष्य निधि	5,271.16	4,625.73		लघु बचत और भविष्य निधि	2,384.74	2,779.95	
आरक्षित निधियां	353.75	452.41		आरक्षित निधियां	140.07	111.29	
जमा और अग्रिम	3,798.22	3,823.50		जमा और अग्रिम	3,685.83	2,874.23	
उच्चंत और विविध	565.92	3,589.86		उच्चंत और विविध	218.99	3,682.92	
विप्रेषण	17,461.49	9,319.56		विप्रेषण	17,664.20	10,009.98	
				X. अंत में नकद शेष	**526.90**		**428.62**
				कोषागारों में नकद और स्थानीय प्रेषण		6.77	
				बैंकों के पास जमा धन	83.93	21.98	
				स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	5.33	5.09	
				नकद शेष निवेश	426.78	383.92	
				आरक्षित निधि निवेश	10.86	10.86	
कुल भाग-ख	**43,500.38**		**45,272.15**	**कुल भाग-ख**	**43,500.38**		**45,272.15**

स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ

1. पूर्वगामी विवरणों में संक्षिप्त खातों को वित्त खातों में टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ना होगा।
2. सरकारी खाते मुख्यत: नकद आधार पर होने के कारण सरकारी खाते में घाटा वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विपरीत नकदी आधार पर स्थिति को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, देय या प्राप्य मदें या स्टॉक आंकड़ों पर मूल्यह्रास या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं आंकी जाती हैं।
3. सस्पेंस और विविध शेष राशि में जारी किए गए चेक शामिल हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और राज्य की ओर से किए गए भुगतान और अन्य लंबित निपटान आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट - 1.5 (सतत)
31 मार्च 2017 तक जम्मू और कश्मीर सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2017 तक	
		देयताएं		
	30,451.64	**आंतरिक ऋण**		**34,266.75**
20,146.04		ब्याज दर वाला बाजार ऋण	22,045.60	
1,673.78		एलआईसी से ऋण	1,547.52	
8,631.82		अन्य संस्थानों से ऋण	10,673.63	
	1,579.07	**केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम**		**1,489.20**
37.79		1984-1985 से पहले के ऋण	37.79	
96.29		गैर-योजना ऋण	96.29	
1,435.75		राज्य योजना स्कीम्स के लिए ऋण	1,345.87	
--		केन्द्रीय योजना स्कीम्स के लिए ऋण	-	
--		केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम्स के लिए ऋण	-	
9.24		राजस्व धन अग्रिम	9.25	
	1.00	**आकस्मिकता निधि**		**1.00**
	17,516.85	**लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।**		**19,362.63**
	1,544.27	**रिजर्व फंड**		**1,885.38**
	4,264.97	**जमा**		**5,214.24**
	4,408.79	**प्रेषण शेष**		**3,718.37**
	13,949.55	**सरकारी खाते में अधिशेष**		**16,115.84**
		2014-15 की समाप्ति पर राजस्व अधिशेष		**-**
13,949.55		राजस्व अधिशेष 2015-16		**-**
	73,716.14	**कुल**		**82,053.41**

31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2017 तक	
		परिसंपत्तियां		
	71,426.74	**स्थिर परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**79,712.27**
547.84		कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	803.74	
70,878.91		अन्य पूंजी परिव्यय	78,908.53	
	1,583.64	**ऋण और अग्रिम**		**1,640.52**
716.53		उद्योग और खनिज	746.51	
536.12		परिवहन	566.12	
85.05		ऊर्जा	85.05	
42.77		कृषि और संबद्ध गतिविधियों	40.73	
186.04		अन्य विकास ऋण	183.70	
17.13		सरकारी कर्मचारियों को ऋण और विविध ऋण	18.41	
	12.70	**अग्रिम**		**12.69**
	166.11	**उच्चंत और विविध शेष**		**259.16**
	0.05	**आकस्मिकता निधि (प्रतिपूर्ति रहित)**		**0.15**
	--	अंत शेष लेखा शीर्ष से राशि को राईट ऑफ करना		**-**
	526.90	**नकद**		**428.62**
	--	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण	6.77	
83.93		बैंक के पास जमा	21.98	
5.21		विभागीय नकद शेष	4.97	
0.12		स्थायी अग्रिम	0.12	
426.78		नकद शेष निवेश	383.92	
10.86		रिजर्व फंड निवेश	10.86	
		सरकारी खाते में घाटा		
	---	2014-15 की समाप्ति पर राजस्व घाटा		**-**
	73,716.14	**कुल**		**82,053.41**

परिशिष्ट - 1.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.2.3)

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के बजट से बाहर कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियां दर्शाने वाला विवरण। राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए ₹एक करोड़ से अधिक की लागत वाली केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर दी गई निधि) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
एनआरएचएम के तहत अस्पताल और औषधालय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	240.30
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	अन्य सहित राज्य स्वास्थ्य विभाग	-	-	-	35,488.95	13,922.91
विशेष श्रेणी राज्य डीआईपीपी (पूर्वोत्तर के अलावा अन्य) के लिए पैकेज	जम्मू और कश्मीर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	3,569.47	4,116.86	3,320.63
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम डीपीएडी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी, (आईडब्ल्यूएमपी)	सहायक आयुक्त (विकास) डीआरडीए	-	-	-	481.37	4,271.81
डीआरडीए प्रशासन आरडी	सहायक आयुक्त (विकास) डीआरडीए	-	-	-	1,161.49	-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सहायक आयुक्त (विकास) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	-	-	-	60,315.73	76,276.16
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	राज्य ग्रामीण सड़क एजेंसी	-	-	-	52,323.93	26,632.50
ग्रामीण आवास आई ए वाई	सहायक आयुक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	-	-	-	5,642.49	5,009.74
सर्व शिक्षा अभियान	उजाला सोसायटी जम्मू और कश्मीर	-	-	-	89,143.50	50,805.85

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)	जिला उपायुक्त	3,250.00	5,500.00	3,500.00	-	4,500.00
बौद्ध और तिब्बती अध्ययन	गल्डेन तार्गेस्लिन्ग सांस्कृतिक कल्याण सोसायटी, संस्कृति संरक्षण सोसायटी, कुकशो, सांस्कृतिक संरक्षण और क्षेत्र विकास थेखना चोसलिंग कल्याण सोसायटी और विभिन्न गैर सरकारी संगठन, और अन्य कल्याण सोसायटी	-	-	967.67	-	296.70
राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	वन विकास एजेंसी, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, बटोट, रामबन आदि।	-	-	-	810.82	337.00
आईएचएमएस, एफसीआई आदि की सहायता	होटल प्रबंधन तथा खानपान संस्थान	27.91	366.00	871.00	-	300.00
गंतव्यों और सर्किटों के लिए उत्पाद अवसंरचना विकास	राज्य पर्यटन विभाग		-	-	-	221.80
केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	एसडब्ल्यूएसएम सदस्य, सचिव सह अधीक्षण अभियंता कुपवाड़ा/श्रीनगर/ बारामुला/बड्गाम	-	-	-	3,957.20	3,511.01

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
अनुसंधान और विकास सहायता (एसईआरसी)	जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाबा विश्वविद्यालय आदि	270.00	219.18	-	-	314.75
प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थिति की प्रणाली/व्यापक हथकरघा विकास योजना का संरक्षण (सीएचडीएस)	जम्मू और कश्मीर झील और जल मार्ग विकास प्राधिकरण के निदेशक हथकरघा विकास जम्मू कश्मीर श्रीनगर	-	-	-	2,989.53	-
राष्ट्रीय मध्य विद्यालय शिक्षा अभियान (आरएमएसए))	उजाला सोसायटी, श्रीनगर/नूर सोसायटी	-	-	-	13,578.18	10,935.54
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)	-	-	-	41,266.25	47,450.03
आफ ग्रिड डीआरपीएस	अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी करगिल/लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास/ रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर/6वीं बटालियन आईटीबीपी	3,515.92	5,996.19	2,201.96	-	3,392.72
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	-	569.35	892.35	-	1,634.37

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
सभी और (दूरस्थ गांवों) के लिए ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरण ऊर्जा	जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी	-	143.32	-	-	-
व्यापक हथकरघा विकास योजना (सीएचडीएस)	निदेशक हथकरघा विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर श्रीनगर	871.50	131.87	-	142.04	-
आजीविका स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरजोना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए)	-	-	-	2837.79	289.73
ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरण बिजली एमएनआरई	जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	1,448.88	2,929.77	3,864.21	-	2,919.65
पूर्वोत्तर और हिमालय के लिए बागवानी मिशन	केंद्रीय अस्थायी बागवानी संस्थान, श्रीनगर (आईसीएआर)	-	--	-	148.91	250.00
औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजनाओं आईआईयूएस डीआईपीपी	जम्मू कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम।	-	-	-	-	602.15
शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम सहित सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता	विधवाओं, अनाथ विकलांगों और वृद्धों के पुनर्वास के लिए परिषद (मिलिटेंसी के शिकार)	300.00	304.97	288.11	-	300.00
बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और जम्मू कश्मीर, उद्यमिता विकास संस्थान	-	-	-	-	328.07

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	संस्थान और होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/खाद्य शिल्प संस्थान जम्मू, जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान	-	302.16	255.12	-	386.37
जम्मू विकास जैव प्रौद्योगिकी के मानव संसाधन विश्वविद्यालय,	एस.के. कृषि विज्ञान तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीर, श्रीनगर, एचआरडी एनीमल बायोटेक, जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय	613.85	-	122.89	-	100.99
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू तथा कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी	-	-	-	487.40	125.69
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई) जम्मू	-	-	-	1,749.92	1,187.23
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एसएएमपीडीए) सीएस	जेके सिडको, सुपर स्टार स्पाइस, जियाफत ऑयल मिल्स, मीर एग्रो इंडस्ट्रीज, बसंतर ब्रेवरीज, डेली नीड नीड मिल्क प्रोसेसिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एफआईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हंसराज एक्सपोर्ट्स, काचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन।	-	1,815.75	-	-	112.50

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
कला और संस्कृति का संवर्धन और प्रसार	संगग्गमतरू कला उत्पादन	-	-	-	-	101.89
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	जम्मू कश्मीर राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी सोसायटी सिविल सेक्ट. जम्मू कश्मीर	-	-	-	-	443.00
एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) के लिए योजना	जम्मू-कश्मीर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	-	-	1,191.00	-	397.00
कौशल विकास	जम्मू कश्मीर कौशल विकास पहल मॉड्यूलर रोजगारी कौशल सोसायटी	-	-	263.10	1130.63	627.00
राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	जम्मू-कश्मीर एससीएसटी और बीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	120.00
गनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता	एनआईटी, श्रीनगर	-	2,900.00	4,250.00	-	2,000.00
राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और पिछडे वर्गो के विकास निगम लिमिटेड	-	-	470.00	-	350.00

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/ एसआरसी का समर्थन (गैर-सरकारी संगठनों की मर्जी से योजना, जेएसएस एसआरसी)	जन शिक्षा संस्थान/राज्य संसाधन केंद्र, जम्मू कश्मीर	-	114.25	-	-	133.56
विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता	एनआईटी श्रीनगर/जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	544.31	900.00
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/जम्मू-कश्मीर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	-	-	-	-	110.18
पुलिस द्वारा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	पुलिस आवासीय निगम जम्मू कश्मीर	-	-	-	270.00	-
स्वर जनजात शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) राष्ट्रीय शहरी	राज्य शहरी विकास एजेंसी जम्मू कश्मीर	-	-	-	607.94	-
राष्ट्रीय बांस पर मिशन	बांस विकास एजेंसी जम्मू कश्मीर	-	-	-	108.25	-
पशु और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना	जम्मू और कश्मीर श्रीनगर	-	-	-	500.00	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान	विश्वविद्यालय जम्मू	-	-	135.00	100.00	-
स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन के बुनियादी ढांचे का विकास	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू	-	216.00	252.00	-	-
ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान श्रीनगर	-	-	148.80	-	-
इलेक्ट्रॉनिक शासन	जम्मू तथा कश्मीर सरकारी एजेंसियां/ कश्मीर विश्वविद्यालय	-	-	344.92	-	-
अल्पसंख्यकों के लिए नि: शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं एमएसी	मानव कल्याण संगठन	-	-	134.51	-	-
मेगा क्लस्टर टैक्सटाईल्स	जम्मू-कश्मीर राज्य स्केल औद्योगिक विकास निगम	-	128.90	1,010.00	-	-
जनशक्ति विकास (आईटी में कौशल विकास सहित) डीआईटी	जम्मू और कश्मीर ई-शासन एजेंसियां	-	-	136.84	-	-
बुनियादी अनुसंधान के लिए मेगा सुविधाएं	जम्मू विश्वविद्यालय	-	158.00	140.36	-	-
राष्ट्रीय नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी मिशन	एनआईटी श्रीनगर	-	-	132.12	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम सामान्य	जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान	-	164.16	200.19	-	-
जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास विभाग	जेके विश्वविद्यालयों	-	-	1,159.13	-	-
बुनियादी ढांचे और विकास एफपीआई के लिए योजना	मीर एग्रो इंडस्ट्रीज/ कचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन	-	-	480.33	-	-
स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स	समग्र क्षेत्रीय केंद्र	733.89	691.02	249.47	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन	-	349.81	116.59	-	-
भूकंप विज्ञान अनुसंधान	जम्मू विश्वविद्यालय	-	-	224.98	-	-
राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	विश्वविद्यालयों	-	-	112.84	-	-
एलायंस और आर एंड डी मिशन	भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, कश्मीर विश्वविद्यालय, एसकेयूएस्ट जम्मू/कश्मीर	436.76	4,28.80	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	एसकेयूएएसटी जम्मू/कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंट्राजेटिव मेडिसिन्स, बाबा गुलाम शाह विश्वविद्यालय, रक्षा उच्च ऊंचाई अनुसंधान संस्थान	-	734.54	-	-	-
विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएएसटी जम्मू/कश्मीर, कश्मीर विश्वविदयालय	108.74	114.14	-	-	-
मानव संसाधन विकास जैव प्रौद्योगिकी	एसकेयूएएसटी जम्मू/कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज उधमपुर, समन्वयक स्टार कॉलेज कार्यक्रम, एफवीएसी और पशुपालन शुहामा, महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज, गांधी नगर, जम्मू	-	192.86	-	-	-
राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना	जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	-	150.00	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस)	4,675.75	194.46	-	-	-
पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम	लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद, लेह/ कारगिल	162.00	1,099.25	-	-	-
अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच	कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन	-	133.78	-	-	-
कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह की योजना	सोनम स्टोबगिस, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी स्तकना गोंपा, शाह-ए-जहान अहमद भगत, कल्चरल एंड वेलफेयर सोसायटी, तुकला गोंपा, कश्मीर म्यूजिक सोसायटी, नेशनल भण्ड थियेटर, संगम थियेटर ग्रुप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध स्टडीज, लालोक कुनफान थुंडल तसोगसपा, कर्मा दुप्युड च्योलिंग सांस्कृतिक एवं कल्याण संघ, सेवा बलिदान बंधु धर्म केंद्र आदि।	-	966.36	-	-	-
सीखो और कमाओ-कौशल पहल डी-वेलोपमेंट	एनआईआईटी, मानव कल्याण संगठन	109.76	893.02	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
पांच मेगा क्लस्टरों की स्थापना	जम्मू-कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जम्मू-कश्मीर एसआईसीओपी)	-	310.00	-	-	-
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	एसकेयूएसटी कश्मीर, एनआईआईटी श्रीनगर	-	139.04	-	-	-
एमेडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	847.33	-	-	-	-
चेनाब घाटी पावर को जम्मू-कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के तहत पाकुल दुल एचईपी के लिए केंद्रीय सहायता	चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड	20,000.00	-	-	-	-
खादी, ग्राम और कोयर उद्योगों का विकास	जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	523.49	-	-	-	-
पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	1,040.07	-	-	-	-
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	506.70	-	-	-	-
बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको)	110.62	-	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
कला संस्कृति विकास योजना	जम्मू और कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां	271.38	-	-	-	-
खेल के विकास के लिए खेलों भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर राज्य खेल परिषद/ एलएएचडीसी	786.87	-	-	-	-
कानूनी मेट्रोलॉजी और गुणवत्ता आश्वासन वजन और मापन	जम्मू और कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जम्मू/श्रीनगर	650.00	-	-	-	-
आरडी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और कार्यक्रमों के बदले जिला योजना प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण	प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)/ क्षेत्रीय विस्तार प्रशिक्षण केंद्र बड्गाम	750.45	-	-	-	-
नई मंज़िल	कोम्टेक संस्थान प्रौद्योगिकी/राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी और समाज कल्याण संगठन/ विकास और प्रशिक्षण के लिए सोसायटी	493.25	-	-	-	-
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	जम्मू कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम और नियंत्रण सोसायटी	803.06	-	-	-	-
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत सीएस	जन शिक्षा संस्थान जम्मू/तगंदर/राज्य संसाधन केंद्र श्रीनगर	195.60	-	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम सीएस	आश कानीशॉल पशमीना व रफल हथकरघा बुनकर औद्योगिक सहकारी संस्था लिमिटेड/निगम लिमिटेड, ब्राइट पश्मीना रफ्फल एंड कोटन हैंडलूम वीवर्स इंडसट्रियल को-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड/ जम्मू और कश्मीर राज्य हैंडलूम डेवेलपमेंट कोरपोरेशन/जम्मू और कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कोरपोरेशन लिमिटेड आदि	181.25	-	-	-	-
राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन	रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय/ कश्मीर संगठन अनुसंधान और विकास के लिए नींव।	531.31	-	-	-	-
खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	इंडो कश्मीर/काचरू एकीकृत कोल्ड चेन/ केसर मसाले और फूड्स/वाज़ान फूड्स, सुरक्षित और ताजा फूड्स/शफात तेल मिल्स और मसाले/ मीर एग्रो इंडस्ट्रीज आदि	1325.22	-	-	-	-
प्रसाद-राष्ट्रीय तीर्थ उत्थान और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर मिशन।	जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	840.42	-	-	-	-

भारत सरकार की योजना का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां	भारत सरकार विज्ञप्ति				
		2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
राज्य स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना	पीएमएनआरएफ/ बाढ़ राहत जम्मू और कश्मीर के प्रिंसिपल/सीएओ जीएमसी श्रीनगर/ सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू।	317.00	-	-	-	-
स्वदेश दर्शन-थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स का एकीकृत विकास।	जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम/जम्मू और कश्मीर राज्य केबल कार निगम।	11,862.79	-	-	-	-
राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू/जम्मू-कश्मीर राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद/ एसकेआईएमएस/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जम्मू	156.78	-	-	-	-
विकास के लिए पारंपरिक कला/क्राफ्ट्स में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीटीएडी)	मानव कल्याण संगठन/राष्ट्रीय तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान, बांदीपुरा कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।	167.00	-	-	-	-
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	जम्मू और कश्मीर कौशल विकास पहल-मॉड्यूलर रोजगारी कौशल सोसायटी।	1,053.88	-	-	-	-
अन्य योजनाएं	अन्य योजनाएं	2,859.16	1,442.98	1,681.16	89.38	1,583.66
कुल योग		**62,798.59**	**29,799.93**	**29,366.12**	**3,19,992.87**	**2,66,742.49**

परिशिष्ट - 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद: 1.4.3)

14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत जारी सहायता-अनुदान की स्थिति

(₹ करोड में)

क्रम सं.	हस्तान्तरण	14वें वित्त आयोग की सिफारिश (2015-20)	प्रक्षेपण (विभागवार) 2015-16	2016-17	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (2015-17)	प्रस्तुत किये गए यूसी	लंबित यूसी	निर्गम के लिए लंबित अनुदान
1	शहरी स्थानीय निकाय (आवास विभाग) सामान्य मूल अनुदान	1,044.51	125.30	173.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सामान्य निष्पादन अनुदान	261.13	---	51.21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरडीडी) सामान्य मूल अनुदान	3,117.36	373.96	517.81	367.72	367.72	शून्य	524.05
	सामान्य निष्पादन अनुदान	346.37	---	67.92	शून्य	शून्य	शून्य	67.92
3	एसडीआरएफ केंद्रीय हिस्सा	1,268.00	229.00	241.00	470.20	18.66	51.54	शून्य
	राज्य हिस्सा	141.00	25.00	27.00	38.50			13.50
कुल		**6,178.37**	**753.26**	**1,078.44**	**876.42**	**386.38**	**451.54**	**605.47**

परिशिष्ट - 1.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.13)

जम्मू तथा कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित दायित्व दिए गए है:

(क) राजस्व अधिशेष का रख-रखाव किया जाना था और अधिशेष के क्रमिक सुदृढीकरण हेतु उपाय शुरू किए जाने थे।

(ख) हस्तांतरण-पूर्व अनियोजित राजस्व घाटा को 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिक 20 *प्रतिशत* तक धीरे-धीरे कम किया जाना था और इसके पश्चात 2006-07 से आरंभ करके जीएसडीपी के एक *प्रतिशत* तक न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ बनाए रखना था। राज्य का हस्तांतरण-पूर्व अनियोजित राजस्व घाटा 2005-06 में जीएसडीपी का 24.73 *प्रतिशत* था।

(ग) राजकोषीय घाटा को 2006-07 से शुरू करके जीएसडीपी के 0.5 *प्रतिशत* तक न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिकाधिक तीन *प्रतिशत* तक धीरे-धीरे कम करना था। राज्य का राजकोषीय घाटा 2005-06 में जीएसडीपी का 9.96 *प्रतिशत* था।

(घ) 'कुल बकाया देयताओं' को 2006-07 से शुरू करके जीएसडीपी के पाँच *प्रतिशत* तक न्यूनतम वार्षिक कमी के साथ 2009-10 तक जीएसडीपी के अधिकाधिक 55 *प्रतिशत* तक धीरे-धीरे कम करना था। मूल वर्ष 2005-06 के लिए राज्य की 'कुल बकाया देयताएं', अधिनियम में यथा परिभाषित, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखाओं के कारण तुरंत उपलब्ध नहीं है। सरकारी लेखाओं के अनुसार सरकार की बकाया देयताएं 2005-06 में जीएसडीपी की 63.31 *प्रतिशत* थी। 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की जीएसडीपी के सापेक्ष बकाया ऋण जीएसडीपी का 63.27 *प्रतिशत* था।

(ङ) किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक वृद्धि संबंधी जोखिम भारित गारंटियों का पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* तक या पिछले वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 *प्रतिशत*, जो भी कम हो, तक सीमित किया जाना था।

अधिनियम में यह भी आदर्श रखा गया था कि सरकार को अधिनिमय के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा के लिए सरकार से स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना करनी चाहिए और इन समीक्षाओं को राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

एफआरबीएम नियमावली (जनवरी 2008) में निर्धारित किये गये राजकोषीय संकेतकों पर निगरानी रखने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (एमईएफएस)/मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस)/राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण (एफपीएसएस) के प्रारुपों को राज्य विधानमंडल के बज़ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है और अनेक विवरण विधानमंडल को राजकोषीय सूचना को प्रकट करने है। अधिनियम/नियमावली के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएं वर्ष 2008-09 हेतु बजट से लागू की गई थी। एफआरबीएम अधिनियम में 12वें और 13वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऋण/घाटे में कमी के लक्ष्य को पुन निर्धारित/छूट देने के लिए संशोधित किया गया है जैसे नीचे ब्यौरे दिए गए है:

- 17 दिसम्बर, 2008 को, हस्तांतरण-पूर्व गैर नियोजित राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और बकाया कुल देनदारियों को कम करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया, जो मूल अधिनियम के अनुसार मार्च 2016 के बजाय मार्च 2009 तक क्रमश: अधिकतम 20 *प्रतिशत*, तीन *प्रतिशत* और 55 *प्रतिशत* था।

- 20 अप्रैल 2010 को अधिनियम में संशोधन से 2009-10 के लिए जीएसडीपी के तीन *प्रतिशत* से जीएसडीपी के चार *प्रतिशत* तक राजकोषीय घाटे को बढ़ा दिया गया। चूंकि वर्ष 2009-10 पूर्व में ही समाप्त हो चुका था, इसलिए पुन: निर्धारित लक्ष्य कार्यान्वयन योग्य नहीं किया गया था।

- 9 अप्रैल 2011 को अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को 2010-11 से 2014-15 तक जीएसडीपी के 5.3 *प्रतिशत*, 4.7 *प्रतिशत*, 4.2 *प्रतिशत*, 3.6 *प्रतिशत* और 3.0 *प्रतिशत* पर पुन: निर्धारित किया गया था। चूंकि वर्ष 2010-11 पहले ही समाप्त हो चुका था अत: पुन: निर्धारण लक्ष्य कार्यान्वयन योग्य नहीं था।

- 25 अगस्त 2011 को एक अध्यादेश के माध्यम से एफआरबीएम अधिनियम के द्वारा 2010-11 से 2014-15 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान बकाया ऋणों के वार्षिक लक्ष्य को 56.1 *प्रतिशत*, 55.1 *प्रतिशत*, 53.6 *प्रतिशत*, 51.6 *प्रतिशत* और 49.3 *प्रतिशत* की जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में पुन: निर्धारित किया गया था जैसा कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिश थी। (चूंकि वर्ष 2010-11 पहले ही समाप्त हो चुका था अत: पुन: निर्धारण लक्ष्य कार्यान्वयन योग्य नहीं था)

परिशिष्ट - 1.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 1.13)

एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन

यदि विशेष रूप से वित्त आयोग के दायरे से बाहर यदि केंद्र सरकार पर्याप्त सहायता या ऋण राहत प्रदान करने का चयन करती है तो कोई भी राज्य सरकार राजकोषीय कमी, राजस्व घाटा, कुल देयताओं आदि को कम करने/समाप्त करने के लक्ष्यों को पूरा कर सकती है, राज्य की राजकोषीय सतर्कता या राजकोषीय उत्तरदायित्व का वास्तविक मापदंड राज्य का अपना घाटा है, जो राज्य के नियंत्रण में राज्य के व्यय और गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच संसाधन अंतर को भी यह मानकर आंकता है कि पुरानी वित्तीय देयताएं नये उधार से पुन: वित्तपोषित होती रहेंगी। ये गैर-ऋण संसाधन राज्य की अपनी राजकोषीय नीतियों पर निर्भर है। राज्य ने केंद्र सरकार से संसाधनों के अंतरण पर निर्भरता को 2006-07 में 67 *प्रतिशत* से 2014-15 में 60 *प्रतिशत* तक घटाकर राज्य ने सुधार दर्शाया है। निस्संदेह, यह केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के लेखों को छोड़कर कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित संसाधनों को ध्यान में नही रखा गया है।

- राज्य के पास 2013-14 तक राजस्व अधिशेष रहा लेकिन ऐसा केवल केंद्र सरकार से अनुदान के उच्च स्तर के कारण था। तथापि, राजस्व अधिशेष में ₹1,100 करोड़ (2012-13) से ₹70 करोड़ (2013-14) तक की तीव्र गिरावट देखी गई है और वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान इसे बनाए रखा नहीं जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹390 करोड़ और ₹640 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, यद्यपि वर्ष 2016-17 के दौरान ₹2,166 करोड़ का राजस्व अधिशेष है। राज्य का अपना घाटा लगातार अधिक बना हुआ है और तेजी से राजस्व जुटाने के बिना व्यय वृद्धी लगातार बढ़ रही है।
- वर्ष 2009-10 के अंत तक राजकोषीय योजनाओं को जीएसडीपी के तीन *प्रतिशत* तक कम करने का मूल लक्ष्य बहुत व्यापक अंतर से चूक गया था क्योंकि उस वर्ष मूल राजकोषीय घाटा 9.1 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। 2010 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन अनुसार 2009-10 के लक्ष्य को चार *प्रतिशत* तब बढ़ाया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राज्य को 2011-12 में जीएसडीपी के 4.7 *प्रतिशत* और 2012-13 में जीएसडीपी के 4.2 *प्रतिशत* और 2013-14 में 3.6 *प्रतिशत* तक राजकोषीय घाटे को दर्शाया, लेकिन

राजकोषीय घाटा वास्तव में क्रमश: 5.6, 5.4 और 5.2 *प्रतिशत* था। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 का राजकोषीय घाटा 6.4, 8.8 और 5.4 *प्रतिशत* के साथ समाप्त हुआ जो तीन *प्रतिशत* के लक्ष्य से काफी अधिक रहा।

- एफआरबीएम नियमों में (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में राजकोषीय घाटा (ख) जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व घाटा और (ग) जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में कुल बकाया देयताओं के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये नियम ''हस्तांतरण-पूर्व गैर-नियोजित राजस्व घाटा'' जिसे 2009-10 तक जीएसडीपी के 20 *प्रतिशत* तक कम किया जाना था के लिए वार्षिक लक्ष्यों को परिभाषित नहीं करते, वास्तव में, इस राजकोषीय मानदंड कानून का राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों में भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इस मानदंड पर सरकार का ध्यान नहीं गया क्योंकि राजकोषीय रियायतें/ प्रोत्साहन इसके अनुपालन से जुड़े हुए हैं।

- एफआरबीएम अधिनियम ''बजट से बाहर दिये गये मूल और/या ब्याज जहां गारंटी सहित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) और विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) और अन्य समान तंत्र द्वारा उधार सहित राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखे के अंतर्गत देयताओं के रूप में 'कुल देयताओं' को परिभाषित करता है।'' यह व्यापक योग था जिसे जीएसडीपी के 55.1 *प्रतिशत* तक सीमित करने का लक्ष्य था। तथापि, राज्य सरकार के लेखों का हिस्सा बनाने वाली सरकार की वित्तीय देयताओं को शामिल करती रही। पीएसयू/एसपीवी की देयताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस अनुपालन को इस तथ्य ने कठिन बना दिया था कि कई पीएसयू के लेखों में काफी बकाया है और इसलिए उनकी देयताओं का पता नहीं लगाया जा सका। इनमें सरकारी लेखों से अलग बैंक खातों में सरकारी अधिकारियों द्वारा धारित निधियों के कारण देयताओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो सामान्यत: राज्य लोक लेखे में क्रेडिट किया जाना चाहिए। वित्त विभाग सरकारी लेखों से बाहर धारित इन नकद शेष की निगरानी नहीं कर रहा है यद्यपि इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा परिचालित किया गया था। पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभों के संबंध में गैर-निधिकृत देयताएं भी इससे बाहर हैं, यद्यपि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार इन्हें भी शामिल किया

जाना अपेक्षित था। इस प्रकार, 'कुल देयताओं' की गणना के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम मुख्य प्रावधानों का अब तक अनुपालन नहीं किया गया है।

- विधानमंडल को प्रस्तुत की गई एफआरबीएम विवरणों में प्रकट की गई 'प्रतिबद्ध देयताओं' में ऐसी देयताएं शामिल नहीं हैं जैसे (क) वेतन और पेंशन संशोधन की अवितरित बकाया देयताएं (ख) विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत काऊंटरपार्ट मैचिंग फंड की देयता। इस प्रकार ऐसे व्ययों को स्थगित करने के बावजूद ऋण/घाटा कम करने के लक्ष्य से चूक गए।

- जीएसडीपी के बारे में कुछ मान्यताओं और पूर्वानुमानों पर 12वें और 13वें वित्त आयोगों द्वारा राजकोषीय घाटे, कुल देयताओं आदि के वार्षिक लक्ष्यों की सिफारिश की गई थी। जीएसडीपी डेटा को संशोधित किए जाने के बाद भी, इन लक्ष्यों को संगत रूप से संशोधित नहीं किया गया था। वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष मानकर संशोधित किए जाने के बाद, वर्ष 2007-08 के लिए जीएसडीपी ₹35,620 करोड़ तक बढ़ गया। इस प्रकार, 1999-2000 के आधार वर्ष के रूप में जीएसडीपी श्रृंखला के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को एक नई जीएसडीपी श्रृंखला के साथ निर्धारित किया गया था जिसमें काफी अधिक संख्या दी गई थी, इसे कम करके संशोधित किया जाना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया था। इस प्रकार, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत ऋण/बीमा में कमी के लक्ष्य (एफआरबीएम अधिनियम के *प्रतिशत* के रूप में) तेरहवें वित्त आयोग के अवलोकन से परे अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन पर जीएसडीपी में वृद्धि के कारण कम हो गए हैं। इस प्रकार, सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन प्रयासों का मूल्यांकन और बजट दस्तावेजों में एफआरबीएम अधिनियम अनुपालन के मूल्यांकन की प्रक्रिया को भाजक प्रभाव (जीएसडीपी में वृद्धि) और गणक प्रभाव (सरकारी ऋण में कमी और पूर्ण राशि में कमी) पूरा करने के लिए अंतर करना चाहिए।

- एफआरबीएम अधिनियम से अभिप्राय है कि सरकार अधिनियम के उपबंधों के समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा करने और राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में ऐसी समीक्षा करने के लिए सरकार से स्वतंत्र एजेंसी गठित कर सकती हैं। तथापि, अभी तक ऐसी कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं की गई है।

- एफआरबीएम अधिनियम में यह अपेक्षित था कि मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में, विधानमंडल को बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए, सरकार के राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्यों को निर्धारित करेगी और अंतर्निहित मान्यताओं के स्पष्ट प्रतिज्ञापन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष के अस्थाई लक्ष्य निर्धारित करेगी। (i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन (ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियाँ का उपयोग से संबंधित स्थिरता के मूल्यांकन को भी शामिल किया गया था। (iii) अगले दस वर्षों के लिए बीमांकिक आधार पर अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताओं आंकलित से संबंधित राजकोषीय संकेतक और निरंतरता पीछे विभिन्न मान्यताएं भी इस विवरण में शामिल की गई थी। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पहले तीन वर्षों की अवधि के दौरान बीमांकिक आधार पर पेंशन देयताओं की गणना करना संभव नहीं था, तो सरकार उस अवधि के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि दर आधार पर पूर्वानुमान द्वारा पेंशन देयताओं का अनुमान लगा सकती है। तथापि, एफआरबीएम अधिनियम के इन उपबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और वास्तव में विधानसभा को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणों में नियमों के उपबंधों को दोहराया गया था।
- एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत, सरकार बजट दस्तावेजों में परिसंपत्तियों के सारांश को प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट के साथ प्रस्तुत विवरणों में भूमि सहित परिसंपत्तियों के खाता-बही मूल्य को दर्शाया गया है। मूल्यांकन और पूर्णता का आधार देखने के लिए सहायक अभिलेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा इन संख्याओं को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।
- उपर्युक्त विचलनों के बावजूद, राज्य ने कर राजस्व में काफी वृद्धि करने के लिए आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से प्राप्त अवसरों का अच्छा उपयोग किया है। वाणिज्यिक करों के रिकार्ड एकत्र किये गये है और राज्यों के राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, व्यय में अधिक वृद्धि और स्थापना संबंधित व्यय प्रतिबद्धताओं और विद्युत क्षेत्र में संसाधन अंतर में अधिक कमी के संदर्भ में राज्य का अपना घाटा अधिक बने रहना, चिंता का विषय है।

परिशिष्ट - 2.1
(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.6)
विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहां बचत कुल प्रावधान के ₹एक करोड़ से अधिक या 20 *प्रतिशत से अधिक थी*

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासनिक विभाग	310.14	70.30	23
2	02	गृह विभाग	4,591.33	230.95	05
3	04	सूचना विभाग	60.88	12.54	21
4	05	लद्दाख कार्य विभाग	589.24	24.34	04
5	06	विद्युत विकास विभाग	10,365.56	2,283.44	22
6	07	शिक्षा विभाग	6,485.64	1,352.98	21
7	08	वित्त विभाग	5,650.29	1,171.11	21
8	09	संसदीय कार्य विभाग	49.26	4.28	09
9	10	विधि विभाग	321.25	154.81	48
10	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	305.69	86.65	28
11	12	कृषि विभाग	1,009.95	75.63	07
12	13	पशुपालन विभाग	432.39	56.23	13
13	14	राजस्व विभाग	1,182.96	285.13	24
14	15	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग	157.34	26.47	17
15	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	2,433.21	57.72	02
16	18	समाज कल्याण विभाग	1,315.42	199.03	15
17	20	पर्यटन विभाग	157.10	8.50	05
18	21	वन विभाग	717.54	127.63	18
19	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	550.59	69.95	13
20	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	199.77	51.94	26
21	25	श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	105.01	54.18	52
22	26	मत्स्य पालन विभाग	66.62	1.73	03
23	27	उच्च शिक्षा विभाग	878.95	205.41	23
24	29	परिवहन विभाग	52.40	6.76	13
कुल			**37,988.53**	**6,617.71**	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	प्रतिशत
राजस्व (प्रभारित)					
25	01	सामान्य प्रशासन विभाग	16.02	1.98	12
26	08	वित्त विभाग	4,771.98	204.68	04
27	10	विधि विभाग	34.27	7.32	21
		कुल	**4,822.27**	**213.98**	
पूंजीगत (दत्तमत)					
28	01	सामान्य प्रशासन विभाग	251.38	239.53	95
29	02	गृह विभाग	541.75	435.44	80
30	03	योजना और विकास विभाग	2,436.28	1,893.23	78
31	06	विद्युत विकास विभाग	2,877.07	2,177.61	76
32	07	शिक्षा विभाग	1,127.23	814.78	72
33	09	संसदीय कार्य विभाग	3.55	1.10	31
34	10	विधि विभाग	52.40	49.04	94
35	12	कृषि विभाग	949.94	634.82	67
36	13	पशुपालन विभाग	69.80	45.91	66
37	14	राजस्व विभाग	2,312.29	2,208.38	96
38	16	लोक निर्माण विभाग	1,856.99	420.42	23
39	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	603.40	168.56	28
40	18	समाज कल्याण विभाग	468.83	391.20	83
41	19	आवास और शहरी विकास विभाग	778.15	394.59	51
42	20	पर्यटन विभाग	372.85	194.82	52
43	21	वन विभाग	69.66	25.33	36
44	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	785.20	331.39	42
45	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	637.82	158.12	25
46	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	43.16	10.21	24
47	25	श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	108.26	14.54	13
48	27	उच्चत्तर शिक्षा विभाग	274.94	42.66	16
49	28	ग्रामीण विकास विभाग	1,915.38	798.19	42
		कुल	**18,536.33**	**11,449.87**	

परिशिष्ट - 2.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.8)

₹एक करोड़ और उससे अधिक अभ्यर्पित नहीं की बचत का विवरण

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	संख्या और अनुदान/विनियोजन का नाम	बचत	अभ्यर्पित	बचत, जिनको अभ्यर्पित करना शेष है
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	01	सामान्य प्रशासनिक विभाग	70.30	शून्य	70.30
2	02	गृह विभाग	230.95	शून्य	230.95
3	04	सूचना विभाग	12.54	शून्य	12.54
4	05	लद्दाख कार्य विभाग	24.34	शून्य	24.34
5	06	विद्युत विकास विभाग	2,283.44	शून्य	2,283.44
6	07	शिक्षा विभाग	1,352.98	शून्य	1,352.98
7	08	वित्त विभाग	1,171.11	शून्य	1,171.11
8	09	संसदीय कार्य विभाग	4.28	शून्य	4.28
9	10	विधि विभाग	154.81	शून्य	154.81
10	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	86.65	शून्य	86.65
11	12	कृषि विभाग	75.63	शून्य	75.63
12	13	पशुपालन विभाग	56.23	शून्य	56.23
13	14	राजस्व विभाग	285.13	शून्य	285.13
14	15	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग	26.47	शून्य	26.47
15	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	57.72	शून्य	57.72
16	18	समाज कल्याण विभाग	199.03	शून्य	199.03
17	20	पर्यटन विभाग	8.50	शून्य	8.50
18	21	वन विभाग	127.63	शून्य	127.63
19	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	69.95	शून्य	69.95
20	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	51.94	शून्य	51.94
21	25	श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	54.18	शून्य	54.18
22	26	मत्स्य पालन विभाग	1.73	शून्य	1.73
23	27	उच्चत्तर शिक्षा विभाग	205.41	शून्य	205.41
24	29	परिवहन विभाग	6.76	शून्य	6.76
		कुल-I	**6,617.71**	शून्य	**6,617.71**

क्र.सं.	अनुदान संख्या	संख्या और अनुदान/विनियोजन का नाम	बचत	अभ्यर्पित	बचत, जिनको अभ्यर्पित करना शेष है
II- राजस्व (प्रभारित)					
25	01	सामान्य प्रशासन विभाग	1.98	शून्य	1.98
26	08	वित्त विभाग	204.68	शून्य	204.68
27	10	विधि विभाग	7.32	शून्य	7.32
कुल-II			**213.98**	शून्य	**213.98**
III - पूंजी (दत्तमत)					
28	01	सामान्य प्रशासन विभाग	239.53	शून्य	239.53
29	02	गृह विभाग	435.44	शून्य	435.44
30	03	योजना और विकास विभाग	1,893.23	शून्य	1,893.23
31	06	विद्युत विकास विभाग	2,177.61	शून्य	2,177.61
32	07	शिक्षा विभाग	814.78	शून्य	814.78
33	09	संसदीय कार्य विभाग	1.10	शून्य	1.10
34	10	विधि विभाग	49.04	शून्य	49.04
35	12	कृषि विभाग	634.82	शून्य	634.82
36	13	पशुपालन विभाग	45.91	शून्य	45.91
37	14	राजस्व विभाग	2,208.38	शून्य	2,208.38
38	16	लोक निर्माण विभाग	420.42	शून्य	420.42
39	17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	168.56	शून्य	168.56
40	18	समाज कल्याण विभाग	391.20	शून्य	391.20
41	19	आवास और शहरी विकास विभाग	394.59	शून्य	394.59
42	20	पर्यटन विभाग	194.82	शून्य	194.82
43	21	वन विभाग	25.33	शून्य	25.33
44	22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	331.39	शून्य	331.39
45	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	158.12	शून्य	158.12
46	24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	10.21	शून्य	10.21
47	25	श्रम, लेखन और मुद्रण विभाग	14.54	शून्य	14.54
48	27	उच्च शिक्षा विभाग	42.66	शून्य	42.66
49	28	ग्रामीण विकास विभाग	798.19	शून्य	798.19
कुल-III			**11,449.87**	शून्य	**11,449.87**
कुल योग -I+II+III			**18,281.56**	शून्य	**18,281.56**

परिशिष्ट - 2.3

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.1)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों का विवरण जहाँ कुल प्रावधान का ₹एक करोड़ या 20 *प्रतिशत* से अधिक व्यय था

(*₹करोड़ में*)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अतिरिक्त (*प्रतिशत*)
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	3	योजना और विकास विभाग	72.71	248.73	176.02 (242)
2	16	लोक निर्माण विभाग	690.57	1,297.89	607.32 (88)
3	19	आवास और शहरी विकास विभाग	672.67	690.32	17.65 (03)
4	23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,071.88	1,099.66	27.78 (03)
5	28	ग्रामीण विकास विभाग	439.84	534.37	94.53 (21)
कुल (I-राजस्व दत्तमत)			**2,947.67**	**3,870.97**	**923.30**
II-पूंजीगत (दत्तमत)					
6	04	सूचना विभाग	1.50	2.97	1.47 (98)
7	05	लद्दाख कार्य विभाग	197.54	198.85	1.31 (01)
8	08	वित्त विभाग	36.00	261.89	225.89 (627)
9	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	152.90	233.72	80.82 (53)
10	26	मत्स्य पालन विभाग	10.41	13.34	2.93 (28)
11	29	परिवहन विभाग	40.86	42.50	1.64 (04)
कुल (II-पूंजीगत दत्तमत)			**439.21**	**753.27**	**314.06**
III-पूंजीगत प्रभारित					
12	08	वित्त विभाग	15,364.37	17,023.29	1,658.92 (11)
कुल (III- पूंजीगत प्रभारित)			**15,364.37**	**17,023.29**	**1,658.92 (11)**
कुल योग (I+II+III)			**18,751.25**	**21,647.53**	**2,896.28**

परिशिष्ट - 2.4

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.4)

2016-17 के दौरान 49 प्रमुख लेखा शीर्षों में बजट प्रावधानों के बिना किए गए व्यय को दर्शाता विवरण

(₹लाख में)

क्र. सं.	अनुदान/लेखा शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	राशि
1	**01-सामान्य प्रशासन**		**12.24**
	2013-मंत्री परिषद	2.66	
	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	9.58	
2	**02-गृह**		**4,436.80**
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	456.51	
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3,980.29	
3	**03-योजना और विकास**		**29,269.53**
	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	19,615.79	
	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	229.11	
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 5475-पूंजीगत परिव्यय	9,424.63	
4	**06-विद्युत विकास विभाग**		**99.89**
	2801-विद्युत	99.89	
5	**07-शिक्षा**		**2,681.16**
	2202-सामान्य शिक्षा	2,681.16	
6	**08-वित्त**		**25,133.03**
	2035-संपत्ति और पूंजी पर अन्य करों का संग्रह	2.49	
	2039-राज्य उत्पाद शुल्क	59.54	
	2054-कोषागार तथा लेखा अनुभाग	46.57	
	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.71	
	4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	18.72	
	5465-जनरल फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में निवेश	25,000.00	
7	**10- विधि विभाग**		**2,045.47**
	2014-न्याय प्रशासन	2,045.47	
8	**11-उद्योग और वाणिज्य**		**12,286.46**
	4851-ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2,274.23	
	4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9,729.61	
	4853-गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग पर पूंजी परिव्यय	282.62	
9	**12-कृषि विभाग**		**13,293.69**
	2401-फसल पैदावार	1,082.42	
	2402-मृदा और जल संरक्षण	39.22	

क्र. सं.	अनुदान/लेखा शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	राशि
	2425- सह-संचालन	661.98	
	4401-फसल उत्पादन पर पूंजीगत परिव्यय	11,404.73	
	4402-मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	105.34	
10	**13-पशुपालन विभाग**		**164.63**
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	62.33	
	4404- डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	102.30	
11	**14- राजस्व विभाग**		**2,540.72**
	2055-पुलिस	2,540.72	
12	**15-उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण विभाग**		**989.60**
	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	31.78	
	4408- खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	957.82	
13	**16-लोक निर्माण विभाग**		**348.84**
	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	74.31	
	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	274.53	
14	**17-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग**		**44,894.90**
	2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	36,676.79	
	2211-परिवार कल्याण	4,711.62	
	4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,506.49	
15	**18-समाज कल्याण विभाग**		**29,276.42**
	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	95.26	
	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	26,378.64	
	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	89.51	
	4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	969.77	
	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	1,743.24	
16	**19-आवास और शहरी विकास विभाग**		**21,432.08**
	2217-शहरी विकास	6,690.54	
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	14,741.54	
17	**20-पर्यटन विभाग**		**147.76**
	3452-पर्यटन	116.33	
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	31.43	
18	**21-वन विभाग**		**290.38**
	2402- मृदा और जल संरक्षण	208.48	
	2406-वानिकी और वन्य जीवन	81.90	

क्र. सं.	अनुदान/लेखा शीर्ष	प्रावधान के बिना व्यय की राशि	राशि
19	**23**-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		**3.56**
	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	3.56	
20	**25- श्रम, स्टेशनरी और मुद्रण विभाग**		**58.08**
	2230- श्रम रोजगार	58.08	
21	**27-उच्चत्तर शिक्षा विभाग**		**358.29**
	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	358.29	
22	**28-ग्रामीण विकास विभाग**		**27,667.74**
	2215- जल निर्माण और स्वच्छता	2,990.62	
	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,285.82	
	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	187.73	
	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	23,203.57	
23	**29-परिवहन विभाग**		**42.91**
	2041 वाहनों पर कर	38.58	
	5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	4.33	
कुल योग			**2,17,474.18**

परिशिष्ट - 2.5

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.3)

नियमितीकरण के लिए वित्त विभाग के पास लंबित वर्ष 1980-81 से 2015-16 के लिए अतिरिक्त व्यय का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अतिरिक्त	लोक लेखा समिति द्वारा विचार की स्थिति
1980-81	16	1,5,6,7,8,9,12,13,14,16,18, 19,20,21,22,23	227.90	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई।
1981-82	13	1,3,5,6,8,13,14,16,18,19, 20,21,23	41.99	
1982-83	10	6,8,9,12,14,18,19,21,22,23	119.74	
1983-84	12	1,5,6,7,8,14,18,19,20,21, 22,23	176.75	
1984-85	10	1,6,8,10,14,16,18,19,21,23	65.42	
1985-86	10	1,4,6,10,17,18,19,22,23,26	19.64	
1986-87	15	1,2,4,6,7,8,10,13,18,19,20,22,23,25,26	104.22	
1987-88	17	1,2,3,5,6,8,10,12,13,18,19,21,22,23,24,26,27	177.32	
1988-89	14	1,2,8,9,10,12,13,15,17,18, 22,23,26,27	438.42	
1989-90	09	1,7,8,11,12,20,21,23,24	205.23	
1990-91	11	1,2,5,8,12,17,19,21,23,25,26	427.72	
1991-92	13	1,2,5,7,8,11,12,14,21,22, 23,26,27	1,152.23	
1992-93	14	1,4,5,8,10,11,12,14,16,20, 21,23,24,26	1,029.71	
1993-94	17	2,3,5,8,10,12,13,14,17,18, 20,21,22,23,24,26,27	1,730.03	
1994-95	14	5,6,8,9,10,12,13,14,20,21, 23,24,26,27	2,057.49	
1995-96	19	2,5,6,8,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27	2,936.89	
1996-97	18	2,4,5,6,8,10,11,12,13,14, 16,18,20,21,23,24,26,27	3,482.20	
1997-98	16	1,2,4,6,8,9,12,13,16,18,21,22,23,24,26,27	4,189.21	
1998-99	06	4,5,6,8,23,27	4,185.25	
1999-2000	12	2,3,6,8,9,12,17,18,20,23,24,26	5,851.08	
2000-01	11	1,6,8,9,12,16,18,23,25, 26, 27	6,310.25	
2001-02	15	3,5,6,8,11,17,18,20,21,23,25,26,27,28,29	6,393.41	
2002-03	15	3,5,6,7,8,12,14,16,17,18,21,23,25,26,28	505.61	
2003-04	18	3,5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28	9,770.53	
2004-05	15	3,6,8,9,12,14,15,16,18,20,25,26,27,28,29	2,108.42	
2005-06	16	3,5,8, 10,12,15, 16,17,18, 20,21,23,25, 26,27,28	12,954.06	
2006-07	14	8,12,14,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,28	2,150.03	
2007-08	14	6,8,11,12,14,15,16,20,24,25,26,27,28,29	2,277.91	
2008-09	15	5,6,8,11,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,27	3,277.38	

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अतिरिक्त	लोक लेखा समिति द्वारा विचार की स्थिति
2009-10	14	1,6,8,11,15,16,18,20,23,24,25,26,27,29	4,062.58	
2010-11	14	5,6,8,9,16,18,19,22,23,25,26,27,28,29	6,130.76	
2011-12	14	1,6,8,11,12,15,16,18,19,20,23,25,26,27	5,638.79	
2012-13	12	1,5,8,11,13,16,18,20,23,25,26,27	4,741.57	
2013-14	13	4,6,7,8,14,15,16,18,20,23,24,25,28	4,469.79	
2014-15	12	2,6,7,8,11,16,18,19,21,23,24,25	1,099.28	
2015-16	11	4,6,7,8,15,16,17,18,23,26,28	4,258.62	
कुल			**1,04,767.43**	

परिशिष्ट - 2.6

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.9)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोजन के मामले

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
I-राजस्व (दत्तमत)					
1	07-शिक्षा विभाग	6,419.37	66.27	5,132.66	1,352.98
2	10- विधि विभाग	319.57	1.68	166.44	154.81
3	20-पर्यटन विभाग	155.39	1.71	148.60	8.50
4	24-हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल विभाग	187.34	12.43	147.83	51.94
5	26-मत्स्य विभाग	66.02	0.60	64.89	1.73
	कुल-I	7,147.69	82.69	5,660.42	1,569.96
II-राजस्व (प्रभारित)					
6	08-वित्त विभाग	4,725.37	46.61	4,567.30	204.68
7	09-संसदीय कार्य विभाग	1.08	0.33	1.06	0.35
	कुल-II	**4,726.45**	**46.94**	**4,568.36**	**205.03**
II-पूंजीगत (दत्तमत)					
8	10-विधि विभाग	51.55	0.85	3.36	49.04
9	14-राजस्व विभाग	906.62	1,405.67	103.91	2,208.38
10	18-समाज कल्याण विभाग	458.46	10.37	77.63	391.20
11	20-पर्यटन विभाग	342.08	30.77	178.03	194.82
	कुल-II	**1,758.71**	**1,447.66**	**362.93**	**2,843.44**
	कुल योग	**13,632.85**	**1,577.29**	**10,591.71**	**4,618.43**

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.9)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां अनुपूरक उपबंध ₹एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त था

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	अतिरिक्त
I-राजस्व (दत्तमत)							
1	16	लोक निर्माण विभाग	682.13	8.44	690.57	1,297.89	607.32
2	19	आवास और शहरी विकास विभाग	620.82	1.85	672.67	90.32	17.65
कुल-I			**1,302.95**	**60.29**	**1,363.24**	**1,988.21**	**624.97**
II-पूंजीगत (दत्तमत)							
3	11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	148.78	4.12	152.90	233.72	80.82
4	26	मत्स्य पालन विभाग	9.71	0.70	10.41	13.34	2.93
5	29	परिवहन विभाग	40.62	0.24	40.86	42.50	1.64
कुल-II			**199.11**	**5.06**	**204.17**	**289.56**	**85.39**
कुल योग			**1,502.06**	**65.35**	**1,567.41**	**2,277.77**	**710.36**

परिशिष्ट - 2.8

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.7.5)

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां अनुदान संख्या 23 में बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	4215/01/102/0011/1171	शून्य	3.55
	कुल		**3.55**

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जिसमें अनुदान संख्या 28 में बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय
1	2215/02/105/0031/0230	शून्य	2,990.62
2	2501/01/800/0031/1956	शून्य	229.52
3	2501/01/800/0099/0004	शून्य	652.25
4	2501/01/800/0099/1354	शून्य	37.49
5	2501/01/800/0099/1956	शून्य	366.56
6	2515/001/0099/0051	शून्य	107.80
7	2515/001/0099/0487	शून्य	76.04
8	2515/102/0031/0230	शून्य	3.89
9	2515/102/0099/0055	शून्य	0.09
10	2515/102/0099/0070	शून्य	0.01
11	4515/101/0011/0051	शून्य	3,865.42
12	4515/102/0031/0003	शून्य	531.86
13	4515/102/0031/0004	शून्य	9,688.35
14	4515/800/0011/2050	शून्य	750.00
15	4515/800/0031/1671	शून्य	6,830.98
16	4515/800/0031/2275	शून्य	1.97
17	4515/800/0031/2650	शून्य	1,535.00
कुल		**शून्य**	**27,667.85**

परिशिष्ट - 2.9

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.7.4)

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ महत्वपूर्ण बचत अनुदान संख्या 23 में अभ्यर्पण नहीं किया गया

(₹लाख में)

क्र.सं	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
1	2055/117/0099/0957	80.00	0.51	79.49
2	2215/01/001/0099/1002	57,316.36	57,248.06	68.30
3	4215/01/102/0031/1001	22,500.00	4,942.36	17,557.64
4	4215/01/102/0031/1002	22,500.00	9,596.26	12,903.74
कुल		**1,02,396.36**	**71,787.19**	**30,609.17**

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ महत्वपूर्ण बचत अनुदान संख्या 28 में अभ्यर्पण नहीं किया गया

(₹लाख में)

क्र.सं	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
1	2236/80/800/0099/1839	724.14	495.10	229.04
2	2501/01/001/0099/0003	1,000.00	998.44	1.56
3	2515/001/0099/0029	125.74	8.64	117.10
4	2515/001/0099/0055	7,477.71	2,484.70	4,993.01
5	2515/001/0099/0105	6,408.19	5,315.12	1,093.07
6	2515/001/0099/2357	16.00	5.48	10.52
7	2515/001/0099/0107	19.97	13.69	6.28
8	2515/102/0099/0109	299.14	232.84	66.30
9	2515/102/0099/0111	1,003.50	278.16	725.34
10	2515/102/0099/0118	264.74	86.06	178.67
11	2515/102/0099/0376	6,348.26	4,611.81	1,736.45
12	2515/102/0099/0574	24.36	1.17	23.18
13	2515/800/0099/0097	2,460.72	1,648.75	811.97
14	2515/800/0099/0099	2,335.24	848.44	1,486.80
15	2515/800/0099/0487	762.52	170.44	592.08
16	2515/800/0099/0548	3,326.03	1,014.16	2,311.87
17	4515/102/0011/0230	1,000.00	39.31	960.69
18	4515/102/0031/0341	500.00	12.21	487.79

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ महत्वपूर्ण बचत अनुदान संख्या 28 में अभ्यर्पण नहीं किया गया

(₹लाख में)

क्र.सं	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	बचत
19	4515/102/0031/0064	4,000.00	269.27	3,730.73
20	4515/103/0031/2377	1,500.00	0.60	1,499.40
21	4515/103/0011/2143	8,059.00	5,017.58	3,041.42
22	4515/800/0031/2143	81,496.99	77,274.35	4,222.64
23	4515/800/0031/2376	5,067.46	3,711.57	1,355.89
कुल		**1,34,219.71**	**1,04,537.89**	**29,681.82**

परिशिष्ट - 2.10

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.7.3)

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां अनुदान संख्या 23 के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय रहा

(₹लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	बचत
1	2055/117/0099/1002	739.00	795.71	56.71
2	2215/01/001/0099/1001	48,923.30	51,922.20	2,998.90
3	4215/01/102/0011/1001	9,697.62	20,413.79	10,716.17
4	4215/01/102/0011/1002	9,084.27	13,014.07	3,929.80
कुल		**68,444.19**	**86,145.77**	**17,701.58**

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां अनुदान संख्या 28 के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय रहा

(₹लाख में)

क्र.सं.	मुख्य/लघु/उप-शीर्ष	अनुदान	व्यय	बचत
1	2501/01/800/0099/0230	238.54	337.51	98.97
2	2515/101/0099/1519	35.00	18,074.44	18,039.44
3	2515/102/0099/0051	9,813.99	12,348.02	2,534.03
4	4515/102/0011/0704	835.00	1,365.64	530.64
कुल		**10,922.53**	**32,125.61**	**21,203.08**
कुल योग (23 तथा 28)		**79,366.72**	**1,18,271.38**	**38,904.66**

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भ: पैराग्राफ: 2.3.10)

₹एक करोड़ से अधिक के अप्रयुक्त रहे प्रावधान दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अनुदान का नाम	राशि
1	01	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	1.36
		4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	30.00
2	02	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	11.70
3	03	3454	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	6.29
		5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,261.00
4	07	2202	सामान्य शिक्षा	30.08
		4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	825.57
5	08	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.64
6	10	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	36.80
7	11	2055	पुलिस	10.00
		4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	14.12
		4852	लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2.75
		4853	अलौह-खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.00
8	12	4401	फसल पैदावार पर पूंजीगत परिव्यय	355.60
		4705	कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	43.43
		4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9.04
9	13	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	35.62
10	14	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	1.50
		4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5.00
11	16	3054	सड़कें और पुल	1.73
		4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	131.87
		5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	950.00

12	17	4210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	48.95
13	18	2055	पुलिस	7.72
		4225	एस.सी., एस.टी तथा ओ.बी.सी. कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1.45
		4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्व्य	114.82
14	19	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्व्य	239.21
15	20	3452	पर्यटन	1.80
		4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	10.14
		5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	56.50
16	21	2406	वानिकी तथा वन्यजीव	1.06
		4406	वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय	29.50
17	22	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	69.96
		4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	275.91
		4711	बाढ नियंत्रण परियोजानओं पर पूंजीगत परिव्यय	360.00
18	23	2215	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1.30
19	27	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	146.92
		4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.27
20	28	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	13.00
		4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	748.90
कुल				**5,905.51**

परिशिष्ट - 3.1

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.1)

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के मुख्य शीर्ष-वार बकाया विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
1	2012	राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल/यूटी के प्रशासनिक	0.11	0.00	0.11
2	2013	मंत्रिपरिषद	0.22	0.00	0.22
3	2014	न्याय प्रशासन	0.00	0.02	0.02
4	2015	चुनाव	2.01	2.87	4.88
5	2030	टिकटें और पंजीकरण	0.00	1.90	1.90
6	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0.01	0.11	0.12
7	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	0.08	0.00	0.08
8	2053	जिला प्रशासन	0.25	0.06	0.31
9	2055	पुलिस	0.00	90.22	90.22
10	2056	जेल	0.42	0.00	0.42
11	2059	लोक निर्माण	0.00	0.27	0.27
12	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.86	1.47	2.33
13	2202	सामान्य शिक्षा	62.61	0.46	63.07
14	2203	तकनीकी शिक्षा	0.25	0.03	0.28
15	2204	खेल और युवा सेवाएं	1.66	0.00	1.66
16	2205	कला और संस्कृति	2.63	0.00	2.63
17	2210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5.15	0.48	5.63
18	2217	शहरी विकास	0.05	0.00	0.05
19	2211	परिवार कल्याण	0.00	0.02	0.02
20	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछडो का कल्याण	0.25	0.00	0.25

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
21	2230	श्रम और रोजगार	0.60	0.12	0.72
22	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2.24	22.54	24.78
23	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2.28	210.60	212.88
24	2403	पशुपालन	0.03	0.32	0.35
25	2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0.02	0.00	0.02
26	2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1.35	22.24	23.59
27	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10.52	0.00	10.52
28	2801	विद्युत	0.00	0.20	0.20
29	2851	गांव और लघु उद्योग	3.39	0.00	3.39
30	3451	सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	0.03	0.04	0.07
31	3452	पर्यटन	0.22	0.91	1.13
32	3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	0.25	0.00	0.25
33	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	1.12	1.12
34	4058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग पर पूंजीगत परिव्यय	0.23	0.00	0.23
35	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8.10	6.30	14.40
36	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.00	0.25
37	4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	8.48	0.00	8.48
38	4202	शिक्षा, खेल कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	197.01	23.84	220.85
39	4210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	0.80	149.32	150.12

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
40	4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.75	3.75
41	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	13.33	28.33
42	4220	सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	4.57	4.57
43	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	0.00	0.50
44	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2.42	17.16	19.58
45	4401	फसल हसबैंडरी पर पूंजीगत परिव्यय	7.51	0.34	7.85
46	4402	मिट्टी और पानी पर पूंजीगत परिव्यय संरक्षण	0.07	0.00	0.07
47	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	0.60	1.35
48	4408	खाद्य भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	48.08	1.00	49.08
49	4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	8.25	0.00	8.25
50	4425	सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय	10.10	0.00	10.10
51	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	96.49	91.41	187.90
52	4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	26.84	1.07	27.91

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कश्मीर डिवीजन	जम्मू डिवीजन	कुल
53	4852	लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.12	0.00	0.12
54	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	6.20	0.00	6.20
55	5425	अन्य वैज्ञानिक पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.12	0.00	0.12
56	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	36.91	6.76	43.67
57	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	14.44	2.94	17.38
कुल			**586.16**	**678.39**	**1,264.55**

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.3)

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा से संबंधित वार्षिक लेखों का बहुप्रतीक्षित दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	अवधि जिसके लिए लेखों की प्रतीक्षा की गई	प्रतीक्षित लेखों की संख्या
1	श्रीनगर नगर पालिका	1988-89 to 2016-17	29
2	कश्मीर विश्वविद्यालय	2001-02 to 2016-17	16
3	कश्मीर शहरी विकास एजेंसी, श्रीनगर	1999-2000 to 2016-17	17
4	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, श्रीनगर	2002-03 to 2016-17	15
5	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, अनंतनाग	2007-08 to 2016-17	10
6	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुलवामा	2002-03 to 2016-17	15
7	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, लेह	2008-09 to 2016-17	09
8	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कारगिल	2008-09 to 2016-17	09
9	शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, श्रीनगर (एसकेआईसीसी)	1999-2000 to 2013-14, 2015-16 & 2016-17	17
10	श्रीनगर विकास प्राधिकरण, बेमिना	1999-2000 to 2016-17	18
11	जम्मू कश्मीर राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, श्रीनगर	2003-04 to 2016-17	14
12	इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड कॉमर्स, श्रीनगर	2001-02 to 2016-17	16
13	झील और जल मार्ग विकास प्राधिकरण, श्रीनगर	2005-06 to 2016-17	12
14	जम्मू विश्वविद्यालय	2002-03 to 2016-17	15
15	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जम्मू	2008-09 to 2016-17	09
16	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कठुआ	2008-09 to 2016-17	09
17	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पुंछ	2008-09 to 2016-17	09
18	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डोडा	2003-04 to 2016-17	14
19	कला संस्कृति और भाषाओं की अकादमी	2003-04 to 2016-17	14
20	जम्मू विकास प्राधिकरण	1972-73 to 2016-17	45
21	जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	1995-96 to 2016-17	22
22	जम्मू-कश्मीर खेल परिषद, श्रीनगर	2003-04 to 2016-17	14
23	जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी, (जेएकेईडीए), श्रीनगर।	2003-04 to 2016-17	14

24	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बडगाम	2007-08 to 2016-17	10
25	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बारामूला	2007-08 to 2016-17	10
26	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुपवाड़ा	2006-07 to 2016-17	11
27	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, गांदरबल	2008-09 to 2016-17	09
28	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कुलगाम	2008-09 to 2016-17	09
29	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, शोपियां	2008-09 to 2016-17	09
30	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बांदीपुरा	2008-09 to 2016-17	09
31	जम्मू नगर पालिका	2002-03 to 2016-17	15
32	जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान, (जेकेईडीआई) पम्पोर	1996-97 to 2002-03, 2015-16 & 2016-17	09
33	पर्यटन विकास प्राधिकरण, दूदपथरी	2005-06 to 2016-17	12
34	पर्यटन विकास प्राधिकरण, कोकरनाग	2004-05 to 2016-17	13
35	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मानसबल	2005-06 to 2016-17	12
36	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पहलगाम	2002-03 to 2016-17	15
37	पर्यटन विकास प्राधिकरण, सोनमर्ग	2003-04 to 2016-17	14
38	पर्यटन विकास प्राधिकरण, युसमर्ग	2005-06 to 2016-17	12
39	पर्यटन विकास प्राधिकरण, वेरिनाग	2006-07 to 2016-17	11
40	वुलर संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण, श्रीनगर	2012-13 to 2016-17	05
41	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, रामबन	2007-08 to 2016-17	10
42	पर्यटन विकास प्राधिकरण, मानसर, सुरींसर	2006-07 to 2016-17	11
43	पर्यटन विकास प्राधिकरण, राजौरी	2005-06 to 2016-17	12
44	पर्यटन विकास प्राधिकरण, पुंछ	2005-06 to 2016-17	12
45	पर्यटन विकास प्राधिकरण, लखनपुर	2005-06 to 2016-17	12
46	पर्यटन विकास प्राधिकरण, किश्तवाड़	2005-06 to 2016-17	12
47	जम्मू शहरी विकास एजेंसी (जेयूडीए)	1999-2000 to 2016-17	18
48	जम्मू और कश्मीर राज्य आवास बोर्ड	2002-03 to 2016-17	15
49	रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स	2016-17	1
कुल			**650**

नोट: 15 कार्यालयों के संबंध में प्रतीक्षित खातों की संख्या के बारे में जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भ: पैराग्राफ: 3.4)

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों और सरकारी निवेश को अंतिम रूप देने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
1.	जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड	2015-16	00	48.49	2,240.00	2,288.49	प्रस्तुत नहीं किए गए
2.	जम्मू-कश्मीर बैंक वित्तीय सेवाएं	2015-16	00	20.00	0.00	20.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
3.	जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी विकास निगम लिमिटेड	1997-98	18	10.23	3.73	13.96	प्रस्तुत नहीं किए गए
4.	जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड	2012-13	03	9.09	45.55	54.64	प्रस्तुत नहीं किए गए
5.	जम्मू-कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेव. निगम लिमिटेड	2003-04	12	3.54	11.48	15.02	प्रस्तुत नहीं किए गए
6.	जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पादन और विपणन निगम लिमिटेड	2000-01	15	9.20	43.21	52.41	प्रस्तुत नहीं किए गए
7.	जम्मू-कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव. कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2002-03	13	3.12	8.99	12.11	प्रस्तुत नहीं किए गए
8.	जम्मू-कश्मीर राज्य औद्योगिक डेव. निगम लिमिटेड	2010-11	05	17.65	31.18	48.83	प्रस्तुत नहीं किए गए
9.	जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड.	2003-04	12	1.97	0.61	2.58	प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
10.	जम्मू-कश्मीर पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2006-07	09	2.00	0.00	2.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
11.	जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज डेव. कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2005-06	10	16.27	384.92	401.19	प्रस्तुत नहीं किए गए
12.	जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प (एसएंडई) निगम लिमिटेड	1998-99	17	5.05	22.80	27.85	कंपनी द्वारा 2013-14 तक वार्षिक लेखो का मसौदा तैयार किया गया है लेकिन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा बाढ़ में रिकॉर्ड बह गए।
13.	जम्मू-कश्मीर हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	16	2.99	21.28	24.27	कंपनी ने 2014-15 तक के खाते तैयार किए हैं; लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण प्रतिक्षित है
14.	जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2007-08	08	34.50	48.94	83.44	प्रस्तुत नहीं किए गए
15.	जम्मू कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड	1996-97	19	8.00	68.17	76.17	प्रस्तुत नहीं किए गए
16.	जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2011-12	04	5.00	1,493.55	1,498.55	प्रस्तुत नहीं किए गए
17.	जम्मू-कश्मीर चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	2015-16	00	200.10	0.00	200.10	प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	वाणिज्यिक उपक्रम का नाम	लेखे को अंतिम रूप दिया गया	लंबित खातों की अवधि	अंतिम खातों के अनुसार निवेश को अंतिम रूप दिया गया			लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
				शेयर कैपिटल	ऋण	कुल	
18.	जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	03	15.96	4.26	20.22	प्रस्तुत नहीं किए गए
19.	जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	05	23.57	0.00	23.57	कंपनी 2011-12 और 2012-13 के लिए अपने खातों की तैयारी कर रही है
20.	जम्मू कश्मीर, प्रवासी रोजगार निगम लिमिटेड	2010-11	05	2.56	0.00	2.56	कंपनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए खाते
21.	जम्मू-कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	00	98.19	0.81	99.00	प्रस्तुत नहीं किए गए
22.	जम्मू कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	2011-12	04	154.60	896.48	1,051.08	प्रस्तुत नहीं किए गए
23.	जम्मू कश्मीर राज्य वन निगम	1996-97	19	लागू नही	लागू नही	लागू नही	प्रस्तुत नहीं किए गए
कुल			**197**	**692.08**	**5,325.96**	**6,018.04**	

परिशिष्ट - 4

शब्दावली

क्र.सं.	शर्तें	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्थाएं शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए एसएसए और राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी आदि।
2.	जीएसडीपी	जीएसडीपी को राज्य की कुल आय या श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन के अन्य सभी कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।
3	अधिक्य अनुपात	अधिक्य अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोच या प्रतिक्रिया की डिग्री को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, 0.6 पर राजस्व उछाल का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियों में 0.6 *प्रतिशत* अंक की वृद्धि होती है, यदि जीएसडीपी एक *प्रतिशत* बढ़ जाती है।
4	आंतरिक ऋण	राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएस) को जारी किए गए मुख्य रूप से बाजार ऋण और विशेष प्रतिभूतियों को शामिल करना।
5.	कोर सार्वजनिक और योग्यता माल	मूल सार्वजनिक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती है, जिनकों सभी नागरिक एक समान रुप में उपभोग करते है, इस अर्थ में कि प्रत्येक द्वारा ऐसी वस्तु का उपभोग करना, किसी दूसरे के द्वारा उसी वस्तु का उपभोग करना कमी का कारण न बने जैसे कानून व व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों

		की सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रदूषण रहित हवा तथा पर्यावरणीय वस्तुएँ और सडक जैसी आधारिक अवसंरचना आदि। मेरिट गुड्स आधारित वे वस्तुएँ होती है जो लोक क्षेत्रों में निशुल्क या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि योग्यता या सरकार को भुगतान करने की इच्छा की बजाय उन वस्तुओं की, जरुरत की कुछ अवधारणाओं के आधार पर, प्रत्येक को या पूरे समाज को उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के उपभोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में गरीबों को पोषित करने हेतु निशुल्क प्रावधान या रियाती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाना, उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति तथा रुग्णता को कम करना, सभी को बुनियादी शिक्षा मुहैया करवाना, तथा पेयजल तथा साफ-सफाई आदि को शामिल किया जाता है।
6	विकास व्यय	व्यय के आंकडों का विश्लेषण, विकास और गैर-विकास व्यय में अलग– अलग होता है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं के तहत श्रेणीबद्ध है। मोटे तौर पर, सामाजिक व आर्थिक सेवाएँ विकास व्यय से बनी होती है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय के रुप में माना जाता है।
7.	ऋण स्थिरता	ऋण स्थिरता समय की अवधि में एक वर्तमान ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बनाए रखने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह भी अपने ऋण सेवा करने की क्षमता के बारे में चिंता का प्रतीक. इसलिए, ऋण की स्थिरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल परिसंपत्तियों की

		पर्याप्तता और ऐसे उधारों से रिटर्न के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण की सेवा करने की क्षमता में वृद्धि से मेल खाती है।
8	गैर-ऋण की पर्याप्तता प्राप्तियाँ (संसाधन गैप)	वृद्धिशील ब्याज देनदारियों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को कवर करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज बोझ और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती हैं तो ऋण स्थिरता को काफी सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
9	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के लिए ऋण मोचन (मूल + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है और यह इंगित करता है कि ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक किया जाता है जो उधार प्राप्त निधियों की शुद्ध उपलब्धता को दर्शाता है।
10	गैर ऋण प्राप्तियाँ	वृद्धिशील ब्याज देनदारियों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को कवर करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज बोझ और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती हैं तो ऋण स्थिरता को काफी सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
11	शुद्ध ऋण उपलब्ध	सार्वजनिक ऋण चुकौती पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान।